संख्या 551 XII/2005/82(10)/2005

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तरांचल,देहरादून

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभिवन्त्रण संघ अनुभाग देहरादून दिनांक 7 दिसम्बर, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 489/XII/05/86(10)/05 दिनांक 13 जून 2005 के द्वारा गठित क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड रूपये 25 लाख अर्थात कुल रूपये 23,75,00,000–00(रूपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

2. उक्त धनराशि की जनपदवार फाण्ट निर्धारित मानक के अनुसार अपने स्तर से करने का कष्ट करें

3. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जावेगा ।

4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कराना आवश्यक होगा ।

5. निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/किये जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा । आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्यपवर्तन नहीं किया जावेगा तथा धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

7. बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोरपरचेज रूल्स डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

8. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय ।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के पूँजी लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–101–पंचायतीराज–आयोजनागत–07विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि––00–42–अन्य व्यय से रूपये 18,28,75,000–00, अनुदान संख्या– 30 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम – 00 – 101 – पंचायतीराज – आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना–42 अन्य व्यय से रूपये 4,51,25,000–00 तथा अनुदान संख्या 31 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –00–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–आयोजनागत–00–03–विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि–42 अन्य व्यय से रूपये 95,00,000–00 की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं जातियों हेतु राज्य में लागू आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार ही किया जायेगा।

कमशः 2 पर.....

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 173/ वित्त अनु-4/2005दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 551 XII/2005/82(01)/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
6. निदेशक, वित्त एवं कोषागार , 23 लक्ष्मी रोड उत्तरांचल देहरादून ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
8. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शासन उत्तरांचल शासन ।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
11. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
12. वित्त बजट राज्यक्षेत्रीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग-4 उत्तरांचल शासन ।
14. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एन0सी0उप्रती)
अपर सचिव ।